08
2018 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 08/2018(RCMS No. 2018/00091) अनवान् गौरी शंकर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 44 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> <u>1.</u> देवकांत शर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर 2 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री देवकांत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>26.06.2018</u>

अपीलार्थी गौरी शंकर एवं रेस्पोडेंट देवकांत शर्मा व श्रीमती लक्ष्मी देवी उपस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई एव पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी गौरी शंकर का कथन है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 देवकान्त शर्मा उर्फ टोनी व रेस्पोडेंट संख्या 02 पुत्रवधु लक्ष्मी देवी के खिलाफ इस आश्य का पेश किया था कि वह 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और राजकीय वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत हुआ है और श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है तथा वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसलिए अप्रार्थीगण देवकान्त शर्मा उर्फ टोनी से प्रतिमाह 25000/— भरण पोषण के रूप में दिलाया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.04.18 को अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 को विधि विरूद्ध रूप निरस्त कर दिया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश निरस्त करने योग्य है।

उसका आगे यह भी कथन है कि वह वर्तमान में मकान नम्बर 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में अपनी धर्मपत्नि व बडी पुत्रवधु व पोत्र गोविंद व्यास तथा पोत्रवधु के साथ में निवास कर रहा हैं। उसके दो पुत्र क्रमशः पवन कुमार व देवकांत शर्मा (रेस्पोडेंट) तथा 2 पुत्रिया वीना देवी व भागवंती देवी है। जिनमें उनके पुत्र पवन कुमार का देहांत हो चुका है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलक्टर
2018 श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने अपने समस्त दायित्व पूर्ण कर दिये है तथा सभी पुत्र तथा पुत्रियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई तथा उनके विवाह भी धूमधाम से किये है एवं पुत्रों को कारोबार भी करवा कर दिया है।

उसका आगे यह भी कथन कि अपीलार्थी के पास चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3, 4, 5 में कुल पैमायशी 48850 वर्गफुट में से किला नम्बर 3, 4 में से हिस्सा मिन पैमायशी 120 इन्टु 80 फुट भूमि पर रेस्पोडेंट ने जबरदस्ती भय एवं दबाव देकर कब्जा कर लिया है तथा बाद में उक्त भूमि का इकरारनामा दस्तावेत तैयार करवा लिये और रेस्पोडेंट द्वारा उक्त भूमि जो चक 5 जी छोटी के किला नम्बर 3 व 4 का 120 इन्टु 130 फुट का पश्चिम हिस्सा में लकड़ी का आरा– हनुमान आरा मिल के नाम से स्थापित कर कब्जा किया हुआ है, जिसमें 5 दुकानें भी बना कर आगे आरा किराये पर प्रेम खुराना व अन्य को दे रखी है जबकि अनावेदक को उक्त सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेंट देवकांत ने अपीलार्थी की उक्त सम्पत्ति पर कब्जा भी कर रखा है और उस सम्पत्ति से लगभग 50,000/– किराया प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 10.04.18 निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त मकान नं. 44 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर से व चक 5 जी छोटी के किला नम्बर 3 व 4 का 120 गुणा 80 फुट का पश्चिम हिस्सा में लक्डी का आरा– हनुमान आरा मिल के के नाम से स्थापित किया हुआ है, जिसमें 5 दुकानें भी बनाई हुई है, आरा व 5 दुकानों से बेदखल कर आवेदक को कब्जा दिलाया जावे तथा उपरोक्त चक 5 ई छोटी के किला नम्बर 3 4 का 120 गुणा 80 फुट के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 01(अप्रार्थी संख्या 01) के पक्ष में भय

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

08 जिला कलक्टर
2018 श्रीगंगानगर

व दबाव में तैयार करवाये गये दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के तहत उक्त इकरारनामा को निरस्त करना चाहिए था इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2018 निरस्त किया जावे और रेस्पोडेंट से 25000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलाई जावे एवं **रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 अपीलार्थी प्रार्थी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते है इसलिए** उनके **विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जावे।**

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कथन है कि अपीलार्थी के दो पुत्र और दो पुत्रियां है, जिनमें से एक पुत्र पवन कुमार है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है और पवन कुमार के वारिसान् को एवं उक्त दोनों पुत्रियों को जानबूझकर अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है और केवल मात्र उसे और उसकी पत्नि–रेस्पोडेंट संख्या 02 को परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की गई है इसलिए इसी आधार पर यह अपील खारिज की जानी चाहिए।

उनका आगे यह भी कथन है कि **रेस्पोडेंट संख्या 02 जो कि अपीलार्थी की पुत्रवधु है,** इसलिए वह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 में दी गई दी गई संतान की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए उक्त अधिनियम के तहत अपीलार्थी रेस्पोडेंट संख्या 02 पुत्रवधु से किसी प्रकार की भरण पोषण या अन्य कोई राहत प्राप्त करने का हकदार नही है, इसलिए उसकी अपील खारिज की जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट को केवल मात्र प्रतिमाह 20 से 25000/– की आय है, जिससे वह स्वयं अपने बच्चों का बडी मुश्किल से पालन पोषण करता है जबकि अपीलार्थी/प्रार्थी गौरीशंकर जो कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का पिता व रेस्पोडेंट संख्या 02

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

08/2018 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

का ससुर है और वह राजकीय मल्टीपर्पज स्कूल श्रीगंगानगर से वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत हुआ है और वर्तमान में 35000/– रूपये प्रतिमाह पेन्शन के रूप में प्राप्त कर रहा है और इसके अतिरिक्त अपने पिता की सम्पत्ति कृषि भूमि गांव 31 डी डब्ल्यू डी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ के खाता संख्या 26 पुराना नया 20 के मुरब्बा नम्बर 16 की 11 बीघा एवं खाता संख्या नया 25 पुराना 19 की 7 बीघा कुल 18 बीघा नहरी कृषि भूमि धारण कर रहा है और 4 दुकानों से किराया भी वसूल कर रहा है, जिससे भी उसे 50,000/– रूपये की मासिक आय हो रही है और उसके पास बैंकों में भी लाखों रूपये की एफ.डी. आर. है, उनसे ब्याज प्राप्ति होती है, उक्त तथ्यों को अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में छुपाया है। इसलिए उक्त तथ्यों को छुपाने के कारण एवं भरण पोषण के पर्याप्त साधन होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उसका आगे यह भी कथन हैं कि अपीलार्थी 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में अपनी पत्नि, बडी पुत्र वधु, अपने पौत्र एवं पौत्रवधु के साथ निवास कर रहा है और रेस्पोडेंट भी इसी 44 जी ब्लॉक में प्रथम मंजिल पर निवास कर रहे है और उनके द्वारा कभी भी अपने बड़े भाई के परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार एवं गाली–गलौच नहीं किया है। रेस्पोडेंट संख्या 02 का कथन है कि अपीलार्थी जो कि उसका ससुर है एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 का पिता है वह रेस्पोडेंट संख्या 02–पुत्रवधु को बार–बार अश्लील गालियां निकालता और अश्लील आचरण करता है और उक्त घर से भी बाहर निकालने के लिए गाली गलौच करता है और बार–बार समझाने पर भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता है। इसलिए उसकी अपील खारिज की जानी चाहिए।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदक ने चक 5 ई छोटी की 80 गुणा 120 माप का एक प्लॉट जो कि जरिए इकरारनामा दिनांक 10.02.1999 अपीलार्थी से क्रय किया है, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 01 आरा मशीन लगाकर 1999 से अपना व्यवसाय कर रहा है और उसी पर दुकाने बनाकर, किराये से अपना जीवनयापन कर रहा है। उक्त प्लाट दिनांक 10.02.1999 को कीमतन अपीलार्थी से क्रयशुदा होने के कारण धारा 23(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अपीलार्थी उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में कोई राहत इस न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी अपील खारिज की जावे।

मैने अपीलार्थी तथा रेस्पोडेंट के उक्त तर्को का मनन किया और पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के विरूद्ध पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य के पश्चात दिनांक 10.04.2018 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया, जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 18.05.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई है। जिसमें उसने अपना भरण पोषण करने में असमर्थ बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निम्न प्रार्थना की थी :

> अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक देवकांत शर्मा उर्फ टोनी से भरण पोषण के रूप में कुल प्राप्त किराया राशि का 1/2 हिस्सा यानि 25000/– रूपये आवेदक को अनावेदक से दिलाया जावे तथा अनावेदक देवकांत शर्मा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2018 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

उर्फ टोनी को परिवार सहित मकान नं 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर से व चक 5 जी छोटी के किला नम्बर 3 व 4 का 120 गुणा 80 फुट का पश्चिम हिस्सा में लकड़ी का आरा – हनुमान आरा मिल के नाम से स्थापित कर कब्जा किया हुआ है, जिसमें 5 दुकानें भी बनाई हुई है, आरा व 5 दुकानें से बेदखल कर आवेदक को कब्जा दिलाया जावे तथा उपरोक्त चक 5 ई छोटी के किला नं 3 व 4 का 120 गुणा 80 फुट के सम्बन्ध में अनावेदक के पक्ष में तैयार दस्तावेज इकरारनामा को निरस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.04.2018 को निम्न प्रकार से पारित किया है:

–: आदेश :–

प्रार्थी स्वयं रिटायर्ड कर्मचारी है जिसको अच्छी पेंशन मिलती है, जिससे वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। प्रार्थना पत्र धारा 4 में वर्णित परिभाषा में आने पर ही भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 निजी कार्य करके अपना गुजारा कर रहा है। मात्र अप्रार्थीगण को घर से बाहर निकालने, मकान पर कब्जा चाहने एवं सम्पत्ति से बेदखल करने के लिए रिलिफ चाहा गया है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी की पुत्रवधु है जो संतान की परिभाषा में नहीं आती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थ्ज्ञना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

–Sd–
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी गौरीशंकर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 देवेंकांत एवं पुत्रवधु रेस्पोडेंट संख्या 02 लक्ष्मी देवी से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान अवलोकनीय है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2018 – श्रीगंगानगर

चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 01 अपीलार्थी गौरीशकर का पुत्र है व रेस्पोडेंट संख्या 02, जो कि अपीलार्थी की पुत्रवधु है। चूंकि अपीलार्थी अपनी संतान से ही भरण पोषण की मांग कर सकता है। क्या पुत्र वुध संतान की परिभाषा में सम्मिलित है, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(क) अवलोकनीय है :

> संतान के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है।

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि पुत्रवधु संतान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 02 लक्ष्मी देवी जो कि अपीलार्थी की पुत्रवधु है इसलिए इस अधिनियम के तहत अपीलार्थी रेस्पोडेंट संख्या 02 लक्ष्मीदेवी से कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता।

जहां तक अपीलार्थी गौरीशंकर, जो कि रेस्पोडेंट संख्या 01 देवकांत शर्मा उर्फ टोनी का पिता है, के विरूद्ध इस अधिनियम में भरण पोषण प्राप्त करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय दिनांक 10.04.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उसको 35000/– मासिक पेंशन प्राप्त करना बताया है जबकि अपीलार्थी ने 35000/– मासिक पेंशन होने से इंकार किया है, परन्तु राजकीय सेवा से वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत होने के तथ्य को स्वीकार किया है। इसलिए इस तथ्य का भार अपीलार्थी पर था कि वह कितने रूपये मासिक पेंशन के रूप प्राप्त कर रहा है, ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण यही माना जायेगा कि वह 35000/– मासिक पेंशन प्राप्त न करके, कितने रूपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है। ऐसा कोई साक्ष्य पेश न करने के कारण, यह माना जायेगा कि अपीलार्थी गौरीशंकर 35000/– प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। **अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से है:–**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

08 जिला कलेक्टर
2018 – श्रीगंगानगर

9. भरण पोषण हेतु आदेशः– (1) यदि सन्तान या संबंधी , जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दें।

(2) अधिकतम भरण पोषण भता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रतिमास दस हजार से अधिक नही होगा।

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो माता पिता अपनी संतानो से 10000 रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है और अधिकरण जैसा ठीक समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। धारा 9(2) के तहत ऐसा भरण पोषण भत्ता 10000 रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।

चूंकि जैसा ऊपर विवेचन किया गया है कि अपीलार्थी राजकीय सेवानिवृत अध्यापक है और 35000/– प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहा है तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उसके नाम जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार चक 31 डी.डब्लयू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ में खाता संख्या नया 26 पुराना 20 का मुरब्बा नम्बर 16 का 2.277 कमाण्ड एवं 0.253 अनकामण्ड रकबा अकेले के नाम से है एवं शेष इसी चक 31 डी.डब्ल्यू.डी. का संयुक्त खाते में गोरीशंकर, उमादत, आसकरण का संयुक्त खाते में 1/4 हिस्सा कृषि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भूमि नया खाता संख्या 25 पुराना 19 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 29, 30, 31, 39, 40 में भी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्राप्त उक्त पेंशन राशि को देखते हुए एवं उक्त कृषि भूमि को देखते हुए अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया सक्षम है। इसलिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 से भी भरणपोषण पाने का हकदार नहीं ठहरता है। इसलिए भरण पोषण के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी,श्रीगंगानगर का दिया गया उक्त आदेश दिनांक 10.04.2018 सही है।

जहां तक अपीलार्थी का कथन कि आवासीय मकान संख्या 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर से रेस्पोडेंट को बेदखल करने एवं अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 देवकांत शर्मा से दिनांक 10.02.1999 को किये गये इकरारनामे के अधीन अन्तरण की गई सम्पत्ति चक 5 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 03 का 40 फुट रोड के पूर्व में 80 इन्टू 120 फुट के प्लॉट में उत्तर दक्षिण में 120 फुट व पूर्व पश्चिम में 80 फुट है, को निरस्त कर उसमें उसके द्वारा निर्मित किये गये आरा और 5 दुकानों का कब्जा अपीलार्थी गौरीशंकर को दिलाया जाने का प्रश्न है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ही ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। अपीलार्थी द्वारा जो उक्त बेचान इकरारनामा दिनांक 10.02.1999 को रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया है, वह किसी भरण पोषण शर्त के अधीन नहीं किया गया है बल्कि अपीलार्थी गौरीशंकर द्वारा 1,50,000/– रूपये प्रतिफल की राशि प्राप्त करके रेस्पोडेंट संख्या 01 देवकांत शर्मा निवासी 44 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष में किया गया है और इसी सम्पत्ति पर आरा और 5 दुकानें अपीलार्थी के अनुसार रेस्पोडेंट ने निर्मित की है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

केवल वहीं सम्पत्ति, जो उक्त अधिनियम 2007 के आने के बाद वरिष्ठ नागरिक द्वारा भरण पोषण की शर्त के अधीन दी गई हो तो, वह भरण पोषण न करने के कारण अधिनियम की धारा 23(1) के तहत ऐसी अन्तरित की गई सम्पत्ति को ही शून्य घोषित किया जा सकता है। चूंकि इकरारनामा दिनांक 10.02.1999 का है, जो उक्त अधिनियम 2007 के लागू होने से पूर्व का है और इसी इकरारनामें के अनुसार रेस्पोडेंट देवकांत शर्मा को निवासी 44 जी ब्लॉक का निवासी भी अंकित किया गया है, जो भी 2007 के अधिनियम आने से पूर्व का है। इसलिए इस न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है। इसलिए उक्त सम्पत्ति के अंतरण दिनांक 10.02.1999 को निरस्त करने एवं इसके अधीन की सम्पत्ति का व मकान नं 44 जी ब्लॉक से बेदखली सम्बन्धी प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है।

जहां तक अपीलार्थी का कथन कि रेस्पोडेंट द्वारा उसे प्रताडित किया जाता है, का सम्बन्ध है, इस संदर्भ में अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2018 यथावत् रखा जाता है अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर